UPAG010128622022

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, आगरा**

**पीठासीन अधिकारी– श्री मदन मोहन (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP02725**

**सत्र परीक्षण संख्या : 1601/2022**

उत्तर प्रदेश राज्य **अभियोजन**

बनाम

1. श्री संतोष कुमार पुत्र मुरलीधर
2. श्री धर्मवीर सिंह पुत्र मुरलीधर
3. श्री भूदेव पुत्र मुरलीधर

निवासीगण– गांव लकाबली, थाना ताजगंज आगरा।

अपराध संख्या– 843/2020
अन्तर्गतधारा–376,323,406,
506 (2) भा0दं0सं0
थाना–ताजगंज, आगरा।

**निर्णय**

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–1601/2022 के अन्तर्गत अभियुक्त श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मुरलीधर का विचारण धारा 376, 323, 406, 506(2) भा0दं0सं0, अभियुक्त धर्मवीर एवं भूदेव पुत्रगण श्री मुरलीधर का विचारण धारा–506(2) भा0दं0सं0 के अन्तर्गत हो रहा है।
2. निर्णय में पीड़िता का नाम व पहचान उजागर न हो, इसलिए निर्णय में सम्बोधन ''**पीड़िता**'' शब्द के रूप में रहेगा।
3. पत्रावली पर उपलब्ध टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन कथानक है कि–" प्रार्थिया पढ़ी लिखी महिला है एवं उसके ग्राम लकावली के संतोष पुत्र मुरली ने शारीरिक, मानसिक, शोषण करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है, उसके भाई धर्मवीर व भूदेव ने दिनांक 21.11.2020 को समय करीब 2:00 बजे कलालेखरिया बाजार से अपहरण कर एक टैम्पू में बिठाकर डौकी की ओर जान से मारने के इरादे से ले जाने लगे, बुढेरा पर प्रार्थिया के चिल्लाने पर भीड़ आ गयी। प्रार्थिया ने मौका पाकर अपने घर वालों को फौन करके बुला लिया। संतोष 12 वर्ष से उसका शारीरिक, मानसिक शोषण कर रहा है। प्रार्थिया को 10 वर्ष पूर्व नशे का कोई पदार्थ खिलाकर/पिलाकर अपने घर पर बलात्कार किया और वीडियो बना ली और उस वीडियो को धमकी देकर धन ऐठता रहा। सन् 2012 में प्रार्थिया सोने की अंगूठी लेकर बेच दी। अगर प्रार्थिया धन देने से मना करती तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। सन् 2015 तक दो लाख रूपये ऐंठ लिया। संतोष प्रार्थिया को दिलासा देता रहा कि वह उससे शादी करेगा लेकिन उससे शादी नहीं की तो प्रार्थिया के माता पिता ने दिनांक 31.10.2017 को मलपुरा में शादी कर दी लेकिन संतोष अपनी हरकतों से वाज नहीं आया। संतोष ने प्रार्थिया की शादी के दूसरे दिन ही उसके पति को अश्लील वीडियो दिखा दी जिससे पीड़िता के पति ने पीड़िता से तलाक ले लिया। प्रार्थिया मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रही थी तो दिनांक 12.11.2020 को संतोष पीड़िता से आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली। दिनांक 25.11.2020 को अब फिर दूसरी शादी नगला हवेली धोलपुर से कर रहा है लेकिन प्रार्थिया को इसकी सूचना मिलने पर पीड़िता ने इसकी सूचना नगला हवेली कर दी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और शादी

में मिल रहे दहेज के पांच लाख रूपये वापस करने पड़े। इससे प्रार्थिया से नाराज होकर प्रार्थिया का अपहरण कर जान से मारने के इरादे से ले जाने लगा। दिनांक 20.11.2020 को यह तीनों भाई शाम 6:00 बजे प्रार्थिया के घर असलाह लेकर घर गये और प्रार्थिया को आते ही गाली गलौज करने लगे और मारपीट करते हुए खींचकर टैम्पू में उसका अपहरण कर प्रार्थिया को धमकी दी कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। संतोष ने देशी तमंचा दिखाया और जान से मारने की नियत से फायर किया तो पीड़िता की मां बाल बाल बच गयी और शौरगुल सुनकर पड़ोस के लोग आ गये और पुनः देख लेने की धमकी देकर भाग गये। प्रार्थिया बहुत परेशान है।

4. वादिया मुकदमा द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थनापत्र पर थाना ताजगंज, जिला आगरा में दिनांक 26.11.2020 समय 19:02 पीएम पर अभियुक्तगण श्री संतोष कुमार, श्री धर्मवीर एवं भूदेव तीनों पुत्रगण श्री मुरली के विरुद्ध धारा–323, 307, 364, 376, 406 एवं 506 भा0दं0सं0 के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त मु0अ0सं0 843/2020 में अभियुक्तगण श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मुरलर के विरुद्ध धारा–323, 376, 406 एवं 506(2) भा0दं0सं0 एवं श्री धर्मवीर एवं भूदेव दोनों पुत्रगण श्री मुरली के विरुद्ध धारा–506(2) भा0दं0सं0 का अपराध पाते हुए उक्त अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2022 को अभियुक्त श्री संतोष कुमार, पुत्र श्री मुरली के विरुद्ध धारा–376, 323, 406, 506(2) एवं अभियुक्तगण श्री धर्मवीर एवं श्री भूदेव के विरूद्ध धारा– 506(2) भा0दं0सं0 के आरोपों से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की माँग की।

6. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

   i. पी.डब्ल्यू.–1, पीड़िता

7. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित किये गये:–

| क्रम सं0 | अभिलेखों का विवरण | प्रदर्श | पी0डब्ल्यू0, जिसने अभिलेखों को साबित किया | साबित करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वादिया की तहरीर | प्रदर्श क–1 | पी.डब्ल्यू.–01 | 07.07.2013 |
| 2. | पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी | प्रदर्श क–2 | पी.डब्ल्यू.–01 | सक्ष्य में ग्राह्य नहीं |
| 3. | पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी | प्रदर्श क–3 | पी.डब्ल्यू.–01 | 07.07.2023 |

अभियुक्त द्वारा अन्य अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी।

**6. अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0:–**

अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

**7. उभयपक्षों का तर्कः–**

विद्वान ए0डी0जी0सी0 ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती मारपीट की एवं अभियुक्त संतोष कुमार ने पीड़िता के साथ 12 सालों तक यौन शोषण किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने अपने बयान में दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना कहा है

और यह भी कथन किया है कि  मेरा अभियुक्त संतोष से विवाह हो गया है और अब उसके साथ निवास करती है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि पीड़िता के बयानों में उक्त विरोधाभास का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

**8. अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषणः–**

**पीड़िता के बयान का विश्लेषणः–**

पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त संतोष के विरूद्ध पीड़िता द्वारा तहरीर पर मुकदमा तहरीर पंजीकृत होने के बाद रिश्तेदारों के दबाव में पुलिस को बयान दिया गया था।

पीड़िता का हाजिर अदालत मुल्जिम संतोष से विवाह हो चुका है और इस समय पीड़िता के पास संतोष के संसर्ग से एक पुत्री है जिसकी उम्र लगभग साढ़े तीन माह है।

**साक्षी पी0डब्ल्यू0–01, पीड़िता** ने अपने बयान दिनांकित 07.07.2023 को सशपथ यह कथन किया है कि–

''मैंने स्नातक की शिक्षा गृहण की है। हाजिर अदालत संतोष कुमार मेरे पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। मेरी संतोष से मुलाकात सन् 2014–2015 के करीब हुई थी। मेरे अभियुक्त संतोष के साथ प्रेम सम्बन्ध बन गए थे। इसी दौरान हम दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे। मेरे पिता ने मेरा विवाह मलपुरा गांव के रिंकु के साथ कर दिया था। मेरे ससुराल वालों को प्रेम सम्बन्ध वाली बात की जानकारी होने पर रिश्तेदार आदि लोगों के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक नगर आगरा के यहां एक रिपोर्ट दिनांक 24.011.2020 को टाइप कराकर मेरे हस्ताक्षर कराकर दी थी। स्वयं कहा कि मैंने उस श्किायत को बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर किए थे। साक्षी को पत्रावली पर दाखिल टाइपशुदा तहरीर जो कि पेपर संख्या 4ए/3 लगायत 4 को दिखाया गया तो उसने कहा कि यह वही तहरीर है जिस पर मेरे रिश्तेदारों ने टाइप कराकर हस्ताक्षर कराये थे, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद रिश्तेदारों के दबाव में मैंने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी को अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी का बयान पेपर संख्या 7ए/1 दिखाया गया उसने कहा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। खुद कहा कि इस पेपर पर पुलिस वालों ने बिना लिखा पढ़ी पर कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर बनवा लिए थे। पुलिस ने मेरे मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष बयान कराये थे। पत्रावली पर अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी के बयान का सीलबन्द लिफाफा मौजूद है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। खोलने पर एक खुला लिफाफा दो नकल प्रार्थना पत्र, विवेचक द्वारा 164 सीआरपीसी का बयान कराने हेतु प्रार्थना पत्र व 164 सीआरपीसी के बयान का अवलोकन करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा पीड़िता पुत्री राधेश्याम निवासी लोहामण्डी थाना ताजगंज आगरा का 164 सीआरपीसी का बयान मौजूद है। इसे साक्षी को दिखाया गया उसने कहा कि यह वही बयान है जो मैंने मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था इस पर मेरा फोटो व हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। खुद कहा यह बयान मैंने रिश्तेदारों के कहने पर दिया था। मेरा मेरे पति रिंकु निवासी मलपुरा से वर्ष 2019 में तलाक हो चुका है। इसके बाद मेरा हाजिर अदालत मुल्जिम संतोष से विवाह हो चुका है और इस समय मेरे पास संतोष के संसर्ग से एक पुत्री है जिसकी उम्र लगभग साढ़े तीन माह है। पुलिस ने मेरे इस घटना के सम्बन्ध में बयान लिए थे।

**जिरह द्वारा अभियुक्तगणः–**

मैंने बी0कॉम की परीक्षा वर्ष 2015 में उत्तीर्ण की है। मेरी अभियुक्त से मुलाकात बी0कॉम की पढ़ाई करते समय हुई थी। पत्रावली पर दाखिल टाइपशुदा तहरीर किस रिश्तेदार ने लिखवाई थी मुझे समय याद नहीं है। मैं उसका नाम नहीं

बता सकती। गवाह को 161 सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तब उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया कि '' 10 सालों से संतोष पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा है। मुझे सभी के सामने थप्पड़ मार दिया। धर्मवीर, भूदेव दोनों मुझे पकड़कर मारने के इरादे से ले जा रहे थे'', यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मजिस्ट्रेट महोदय को जो मैंने बयान दिया था रिश्तेदार के दबाव डालने पर दिया था। उस रिश्तेदार का क्या नाम है मुझे इस समय याद नहीं है। यह कहना सही है कि मेरा अभियुक्त संतोष से विवाह हो गया है और अब उसके साथ निवास करती हूं। यह कहना गलत है कि मेरी अभियुक्त संतोष से शादी होने के कारण झूठी गवाही दे रही हूं। न्यायालय को सही बात नहीं बता रही हूं।

संतोष ने मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं किया तथा ना ही मुझसे दो लाख रूपये लिए थे। दिनांक 20.11.2020 को मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की तथा ना ही कोई जान से मारने की धमकी दी। संतोष के छोटे भाई भूदेव व धर्मवीर ने भी मेरे साथ मारपीट नहीं की और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी। संतोष के साथ हंसी खुशी रह रही हूं। आज मैं न्यायालय में बयान दे रही हूं वह बिना किसी दबाव के व अपनी स्वयं की इच्छा से दे रही हूं।

**पीड़िता 164 सीआरपीसी का बयान**

मैंने अपनी मर्जी से संतोष के साथ शादी की है। पहली बार 2010 में मेरे साथ संतोष ने शारीरिक सम्बन्ध जब बनाये थे तब मैं होश में नहीं थी।

मुझे पता ही नहीं था। मुझे बाद में पता चला जब मैंने अपने को ऐसी अवस्था में पाया तब इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था। तब से हमारे बीच में सम्बन्ध बनते रहे। मैंने बहुत शादी के लिए कहा यह मुझे कहता रहा एक साल रूक जाओ, दो साल रूक जाओ। नहीं माना तो 2017 में मेरे माता पिता ने मेरी शादी मलपुरा के रिंकू से कर दी थी।

दूसरे दिन ही वह पहुंच गया। संतोष और उसे हमारे अफेयर के बारे में सब बता दिया और फोटो दिखाये, उसने मुझसे तलाक ले लिया। संतोष ने मुझसे कहा मुझसे शादी करेगा, तुम रिंकू से तलाक लो।

दिनांक 02.11.2019 को मैंने रिंकू से तलाक ले लिया, मैंने शादी के लिए फिर कहा तब इसने मेरे साथ दिनांक 12.11.2020 को आर्य समाज मन्दिर में शादी की। दिनांक 25.11.2010 को इसके घरवाले दूसरी शादी करने जा रहे थे मैंने तुड़वा दी थी। मैंने शादी 20.11.2020 को टुड़वाई थी।

इससे नाराज होकर संतोष ने मेरे साथ कलाल खेरिया मार्ग पर मारपीट की। मुझे संतोष ने रखने से भी मना कर दिया था। हम दोनों शादीशुदा है। मेरे साथ मारीपट सिर्फ संतोष ने की थी। मुझे संतोष ने कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी ना ही मुझे जान से मारने का प्रयास किया।

मुझे संतोष जबरदस्ती दिनांक 21.11.2020 को अपने घर ले जा रहे थे। मैंने सड़क पर ही मना कर दिया था। मैं अपने घर चली गयी। रिश्तेदार छोड़कर आये थे घर। संतोष के पास मेरा जेबरात अथवा किमती सामान नहीं है। मेरा बस बैग छिनकर ले गये थे। जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट एवं आधार कार्ड था। मैं संतोष के साथ अपनी मर्जी से घर से गयी थी। यह मुझे बहला फुसलाकर जबरदस्ती नहीं ले कर गया था। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

9. **निष्कर्ष**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता हैः–

I. पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मुकदमा लिखवाने से पहले दिनांक 12.11.2020 को संतोष ने पीड़िता से आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली। दिनांक 25.11.2010 को इसके घरवाले दूसरी शादी करने जा रहे थे मैंने तुड़वा दी थी। मैंने शादी 20.11.2020 को टुड़वाई थी। इससे नाराज होकर संतोष ने मेरे साथ कलाल

खेरिया मार्ग पर मारपीट की। मुझे संतोष ने रखने से भी मना कर दिया था। दिनांक 26.11.2020 को समय 19:02 पीएम पर अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया।

अतः यह स्पष्ट है कि मुकदमा लिखे जाने के समय अभियुक्त संतोष एवं पीड़िता पति पत्नी थे।

II. पीड़िता ने कथन किया है कि संतोष ने पीड़िता के साथ कोई बुरा काम नहीं किया। दिनांक 20.11.2020 को पीड़िता के साथ कोई मारपीट नहीं की तथा ना ही कोई जान से मारने की धमकी दी। संतोष के छोटे भाई भूदेव व धर्मवीर ने भी पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की और न ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। संतोष के साथ पीड़िता की शादी हो चुकी है और पीड़िता अभियुक्त संतोष कुमार के साथ हंसी खुशी रह रही हूं और अभियुक्त के संसर्ग से पीड़िता को एक बेटी भी है।

अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आरोप साबित करने में असफल रहे हैं।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मुरली को अपराध संख्या–843/2020, थाना ताजगंज, जिला आगरा के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा–376, 323, 406, 506(2) भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण श्री धर्मवीर एवं श्री भूदेव दोनों पुत्रगण श्री मुरली को अपराध संख्या–843/2020, थाना ताजगंज, जिला आगरा के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा–506(2) भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 437ए के तहत दाखिल बन्धपत्र एवं जमानतदारों के अलावा अन्य बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पीड़िता एवं अभियुक्त संतोष के वैवाहिक स्थिति को देखते हुए पीड़िता के विरूद्ध झूठी गवाही देने के लिए प्रक्रिया अपनाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार पीड़िता के बयानों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

**दिनांकः 29.04.2025**

**(मदन मोहन)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
आगरा।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुए पढ़कर सुनाया गया।

**दिनांकः 29.04.2025**

**(मदन मोहन)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
आगरा।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2025.04.29 11:15:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court